R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VII ◆ अंक 9
मार्च 2011

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

शेयर बाज़ार में कारोबार किए ब्याज दर फ्यूचर्स

यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी 91-दिवसीय खज़ाना बिलों पर ब्याज दर फ्यूचर्स कारोबार की अनुमति दी जाए। ब्याज दर फ्यूचर्स की विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

91-दिवसीय खज़ाना बिल फ्यूचर्स की विशेषताएँ

91-दिवसीय खज़ाना बिल फ्यूचर्स की विशेषताएँ निम्न प्रकार होंगी:

- यह संविदा भारत सरकार द्वारा जारी 91-दिवसीय खज़ाना बिलों के लिए होगी।
- इस संविदा का निपटान नकद रूप में भारतीय रुपयों में होगा।
- इस संविदा का अंतिम निपटान मूल्य इस संविदा के समाप्त होने की तारीख को 91-दिवसीय खज़ाना बिलों की साप्ताहिक नीलामी में प्राप्त भारित औसत मूल्य/प्रतिलाभ पर आधारित होगा।

भारित औसत बट्टा प्रतिलाभ की गणना के लिए पद्धति

मुद्रा और ब्याज दर फ्यूचर्स पर भारतीय रिज़र्व बैंक-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थायी तकनीकी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भारित औसत बट्टा प्रतिलाभ की गणना और प्रसारण की पद्धति का सार्वजनिक प्रकटन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

तदनुसार, 91-दिवसीय खज़ाना बिल फ्यूचर्स के अंतिम निपटान के लिए सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ार बट्टा प्रतिलाभ भारित औसत की गणना के लिए संविदा का अंतिम निपटान मूल्य संविदा के समाप्त होने की तारीख (उस दिन के नीलामी परिणामों की घोषणा वाली भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी में अधिसूचित) के दिन 91-दिवसीय खज़ाना बिलों की साप्ताहिक नीलामी में प्राप्त भारित औसत मूल्य का प्रयोग कर सकते हैं।

$$\text{डब्ल्यूएवाइ} = \frac{100 - \text{डब्ल्यूएपी}}{100} \times \frac{360}{90}$$

डब्ल्यूएवाइ = भारित औसत मितीकाटा प्रतिलाभ

डब्ल्यूएपी = संविदा का अंतिम निपटान मूल्य संविदा के समाप्त होने की तारीख (उस दिन के नीलामी परिणामों की घोषणा वाली भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी में अधिसूचित) के दिन 91-दिवसीय खज़ाना बिलों की साप्ताहिक नीलामी में प्राप्त भारित औसत।

मौद्रिक नीति की तिमाही के मध्य में समीक्षा : 2010-11

रिज़र्व बैंक ने 17 मार्च 2011 को मौद्रिक नीति वर्ष 2010-11 की तिमाही के मध्य में समीक्षा जारी किया। इस समीक्षा में रिज़र्व बैंक ने उभरते हुए मुद्रास्फीति परिदृश्य पर चिंता प्रकट की। वक्तव्य यह उल्लेख करता है कि-

'जनवरी में हल्की नरमी के बाद हेडलाईन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद मुद्रासफीति में तेज़ बढ़ोतरी के द्वारा फरवरी 2011 में प्रत्यावर्तित हो गई।'

जैसी आशा थी, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में जनवरी 2011 से आवश्यक रूप से गिरावट आयी है। तथापि, दूध और 'अंण्डे, माँस और मछली' जैसे प्रोटिन स्रोतों की कीमतें संरचनात्मक माँग आपूर्ति असंतुलनों को दर्शाते हुए उच्चतर बनी रही। मध्यावधि में कृषि आपूर्ति प्रतिक्रिया में सुधार के लिए वर्ष 2011-12 के बजट में निहित कई उपाय इन असंतुलनों का समाधान करने में सहायता करेंगे। ईंधन की कीमतें और बढ़ोतरी की संभावना के साथ वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाते हुए उच्चतर बनी रहीं। उल्लेखनीय रूप से माँग पक्ष दबाव के एक संकेतक के रूप में गैर-खाद्य विनिर्मित मुद्रास्फीति जनवरी के 4.8 प्रतिशत से तेज़ी से बढ़कर फरवरी में 6.1 प्रतिशत हो गई और अपनी मध्यावधि प्रवृत्ति से लगातार ऊपर कायम रही। यह संकेत देते हुए कि उत्पादक उच्चतर इनपुट कीमतें उपभोक्ताओं से वसूलने में समर्थ है, यह तेज़ी सभी विनिर्माण गतिविधियों पर फैल गई।

अपनी तीसरी तिमाही समीक्षा में रिज़र्व बैंक ने मार्च 2011 के लिए वर्ष-दर-वर्ष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के लिए 7 प्रतिशत का अनुमान लगाया है। तथापि, और उन्नतशील जोखिम उच्चतर अंतराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, मुक्त रूप से मूल्यांकित पेट्रोलियम उत्पादों, कोयले की लागू कीमतों में वृद्धि और गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद कीमतों से उत्पन्न हुए हैं। मार्च 2011 की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अब उच्चतर होकर लगभग 8 प्रतिशत अनुमानित की गई है।

इसके चलते चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर और प्रत्यावर्तनीय रिपो दर को 17 मार्च 2011 से निम्न प्रकार बढ़ा दिया गया है:

रिपो दर : 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि करते हुए 6.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.75 प्रतिशत किया गया है।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
शेयर बाज़ार में कारोबार किए ब्याज दर फ्यूचर्स	1
मौद्रिक नीति की तिमाही के मध्य में समीक्षा : 2010-11	1
बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं	2
क्षतिपूर्ति दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन स्थगित	2
शाखा बैंकिंग	
बैंकों को 25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों का विनिमय करने के लिए सूचित किया गया	2
सूचना	
मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया पर कार्यदल- रिपोर्ट	2
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के मामलों की जाँच के लिए कार्यदल का गठन	3
अदावी जमाराशियाँ/निष्क्रिय खाते	3
मोबाइल बैंकिंग सेवा	4

प्रत्यावर्तनीय रिपो दर : 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि करते हुए 5.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत किया गया है।

अपेक्षित परिणाम

इस समीक्षा में नीति कार्रवाई से अपेक्षा है कि :

- वृद्धि की जोखिमों को कम करते हुए माँग-व्याप्त मुद्रास्फीति दबावों को नियंत्रित रखना जारी रखा जाए; और
- मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित रखें और खाद्य और पण्य मूल्यों को अधिक सामान्य मुद्रास्फीति में परिवर्तित होने से रोका जाए।

बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं

बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) (संपार्श्वीकृत चलनिधि सहायता) को रिज़र्व बैंक से उपलब्ध कराई गई स्थायी चलनिधि सुविधाएं 17 मार्च 2011 से संशोधित रिपो दर अर्थात् 6.75 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी।

क्षतिपूर्ति दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन स्थगित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/जोखिम उठानेवालों तथा नियंत्रण कार्य स्टाफ के लिए क्षतिपूर्ति पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को वर्ष 2012-13 तक स्थगित कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि बैंकों को अपनी नीतियों की संरचना के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके। ये दिशानिर्देश वर्ष 2011-12 में कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किए गए थे। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे इस बीच जोखिम तथा पारिश्रमिक की कार्यनिष्पादन समरूपता के लिए पद्धतियों पर बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) का परामर्शी दस्तावेज़ देखें और तैयारी शुरु करें। यह दस्तावेज़ अक्टूबर 2010 में जारी किया गया था। रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा है कि वह बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा अंतिम दस्तावेज़ के प्रकाशन के बाद क्षतिपूर्ति पर अंतिम दस्तावेज़ जारी करेगा।

यह स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2010 में अपनी वेबसाइट पर निजी क्षेत्र के बैंकों तथा भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/जोखिम उठानेवालों तथा नियंत्रण कार्य स्टाफ के लिए क्षतिपूर्ति पर प्रारूप दिशानिर्देशों को जारी किया था। प्रारूप दिशानिर्देशों पर भारी संख्या में अभिमत/सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनकी जाँच की जा रही है। इस बीच बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने अक्टूबर 2010 में आम जनता के अभिमत के लिए 'जोखिम और पारिश्रमिक की कार्यनिष्पादन समरूपता की विभिन्न पद्धति' शीर्षक एक परामर्शी पेपर प्रकाशित किया था।

शाखा बैंकिंग

बैंकों को 25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों का विनिमय करने के लिए सूचित किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने छोटे सिक्का डिपो वाले सभी बैंकों को अपनी शाखाओं पर 25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों के अंकित मूल्य पर विनिमय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा। जनता इन बैंकों की किसी भी शाखा पर निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों का विनिमय कर सकती है। यह सुविधा रिज़र्व बैंक के सभी निर्गम कार्यालयों पर भी उपलब्ध होगी। इन बैंकों की शाखाओं/रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों पर 30 जून 2011 को कारोबार की समाप्ति तक सिक्कों का विनिमय किया जा सकता है।

लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को अग्रिम

बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार लघु और मध्यम उद्यम (एमएसइ) अग्रिमों का 60 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों को मिलना चाहिए। बैंकों को सूचित किया गया है कि सूक्ष्म उद्यमों को लघु और मध्यम उद्यम (एमएसइ) अग्रिमों का 60 प्रतिशत का आबंटन चरणबद्ध रू प में अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 55 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

1 जुलाई 2011 के बाद से 25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों को विनिमय हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आपको यह स्मरण होगा कि सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 15 ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने 30 जून 2011 की प्रभावी तारीख से 25 पैसे और उससे निम्न मूल्यवर्ग के सिक्कों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। इस तारीख से ये सिक्के लेखा तथा भुगतान के लिए वैध मुद्रा नहीं रहेंगे।

सूचना

मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया पर कार्यदल- रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 15 मार्च 2011 को अपनी वेबसाइट www.rbi.org.in पर मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया पर कार्यदल (अध्यक्ष श्री दीपक मोहंती) की रिपोर्ट जारी की। इस कार्यदल की मुख्य अनुशंसाएं इस प्रकार हैं :

- कुछ संशोधनों के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिज़र्व बैंक के परिचालन ढाँचे में मुख्य तत्व रहनी चाहिए।
- संशोधित चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) एक घाटेवाली चलनिधि स्वरूप में परिचालित रहे तथा चलनिधि स्तर इस्टतम मौद्रिक अंतरण के लिए बैंकों की निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के लगभग (+)(-) एक प्रतिशत रहना चाहिए।
- रिपो दर एकल नीति दर होनी चाहिए ताकि वह मूल्य स्थिरता के साथ वृद्धि के समष्टि आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति रूझान का सुस्पष्ट संकेत दे सके। यह बैंक दर तथा प्रत्यावर्तनीय रिपो दर द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर संचालित होगी। जैसे ही रिपो दर बदलती है, बैंक दर और प्रत्यावर्तनीय रिपो दर स्वत: बदल जाएगी।
- रिज़र्व बैंक अपने विवेक पर लम्बी अवधि के लिए इसी के साथ-साथ नीलामियाँ संचालित कर सकेगा यदि चलनिधि स्थिति में ऐसी जरूरत हो। तथापि, ऐसी नीलामियाँ अस्थिर मूल्यों पर होंगी क्योंकि वे शुद्ध रूप से नीति दर का संकेत देने की अपेक्षा चलनिधि प्रबंध नीति के लिए होंगी।
- बैंक दर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिकल्पित बट्टा दर के रूप में होगी। यह वह दर होगी जिस पर रिज़र्व बैंक अपेक्षित सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो से अर्जित किए जाने के लिए बैंकों की निवल माँग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत तक नई संपार्श्वीकृत विशेष स्थायी सुविधा (ईएसएफ) के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराएगा। बैंक दर में इस सीमा का उच्चतर स्तर भी शामिल होगा।
- प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में रिपो दर पर एक नकारात्मक ब्याज अंतराल होगा और यह वह दर होगी जिसपर रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत चलनिधि अवशोषित करेगा। प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में इस सीमा का न्यूनतम स्तर शामिल होगा।
- नीति सीमा का इष्टतम विस्तार 150 आधार बिंदुओं पर निर्धारित किया जाएगा तथा सामान्य परिस्थितियों में इसे परिवर्तित नहीं किया जाएगा। यह सीमा रिपो दर और बैंक दर के बीच ब्याज विस्तार की सीमा तक दुगुनी होकर नीति रिपो दर और प्रत्यावर्तनीय रिपो दर के बीच ब्याज विस्तार से असमान होगी। 150 आधार बिंदुओं की सीमा के साथ बैंक दर रिपो दर से 50 आधार बिंदु अधिक तथा प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में 100 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए निर्धारित की जाएगी।
- भारित औसत ओवर-नाईट माँग मुद्रा दर रिज़र्व बैंक का परिचालन लक्ष्य रहना चाहिए। परिचालन उद्देश्य इस सीमा के भीतर रिपो दर के आस-पास इस दर को रोक रखने का होना चाहिए।
- रिज़र्व बैंक नियमित आधार पर द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा (एसएलएएफ) आयोजित करे।
- निवल माँग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत (+)(-) के आधिक्य में जारी चलनिधि का प्रबंध अन्य लिखतों के माध्यम से किया जाए।

- बैंकों को चलनिधि प्रबंध के एक लिखत के रूप में खुले बाज़ार परिचालनों (ओएमओ) की प्रभावक्षमता में सुधार के लिए अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात पोर्टफोलियो का क्रमिक रूप से बाज़ार दर अंकित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। कार्यदल यह मानता है कि आगे जाकर लेखांकन मानक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आइएफआरएस) के समरूप हो जाएगा।
- चलनिधि प्रबंध में सुधार के लिए रिज़र्व बैंक के विवेक पर सरकारी अधिशेष नकद शेष की नीलामी की एक योजना सरकार के परामर्श से लागू की जाए।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो परिचालन के लिए संपार्श्विक समूह को तेल बाण्डों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाए।
- रिज़र्व बैंक के आंतरिक चलनिधि अनुमान के लिए पद्धतीकरण को मज़बूत किया जाए। सरकारी नकदी शेषों पर जानकारी बाज़ार सहभागियों द्वारा बेहतर चलनिधि आकलन के लिए न्यूनतम समयावधि के साथ वेबसाइट पर डाली जाए।
- किसी पखवाड़े के दौरान रिज़र्व बैंक के पास बैंकों द्वारा किसी दिन रखी गई प्रारक्षित निधि के न्यूनतम स्तर को अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के वर्तमान में 70 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाए।
- अल्पावधि मुद्रा बाज़ार खण्डों (संपार्श्वीकृत उधार और ऋण देयताओं (सीबीएलओ) और बाज़ार रिपो) के लिए टी + 0 लेनदेनों को तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) में ग्राहकों के लिए कट-ऑफ समय (अर्थात् अपराह्न 4.30 बजे) तक विस्तारित किया जाए ताकि बैंकिंग प्रणाली सक्षमता से अपनी सीआरआर स्थिति को व्यवस्थित कर सके।

पृष्ठभूमि

मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया पर कार्यदल का गठन 27 जुलाई 2010 को घोषित वर्ष 2010-11 के लिए मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा के अनुसरण में 1 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इस कार्यदल के सदस्य वित्तीय बाज़ारों, शिक्षा संस्थानों और रिज़र्व बैंक से लिए गए थे। इस कार्यदल को निम्नलिखित विचारार्थ विषय सौंपे गए थे :

(i) प्रमुख केंद्रीय बैंकों की परिचालन प्रक्रियाओं का सर्वेक्षण करना;

(ii) भारत में मौद्रिक नीति की वर्तमान परिचालन प्रक्रिया खासकर चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की समीक्षा करना;

(iii) निम्नलिखित के संबंध में चलनिधि समायोजन सुविधा के परिचालन की जाँच करना:

क) सीमा की व्यापकता

ख) नीलामियों की बारंबारता और समय सारणी

ग) रिपो और प्रत्यावर्तनीय रिपो परिचालनों की परिपक्वता अवधि

(iv) बैंक दर की भूमिका का आकलन करना;

(v) स्थायी सुविधाओं जैसेकि निर्यात ऋण पुनर्वित्त की भूमिका की जाँच करना; और

(vi) निम्नलिखित के विशेष संदर्भ के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों और घरेलू अनुभव के आलोक में भारत में मौद्रिक नीति की वर्तमान परिचालन प्रक्रिया में परिवर्तन का सुझाव देना:

(क) क्या किसी भी तरह की कोई सीमा होनी चाहिए

(ख) यदि ऐसा है तो क्या इसकी व्यापकता विशिष्ट स्थितियों के अंतर्गत निर्धारित अथवा परिवर्तनशील होनी चाहिए

(ग) यदि ऐसा है तो इस सीमा को सक्षम ढंग से कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए कौनसी लिखत/व्यवस्था आवश्यक हो सकती है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के मामलों की जाँच के लिए कार्यदल का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र के विनियमन से संबंधित उभरते हुए विभिन्न श्रेणी के मामलों की जाँच के लिए श्रीमती उषा थोरात, निदेशक, उन्नत वित्तीय अनुसंधान और ज्ञान केंद्र (सीएएफआरएएल) की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया।

भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूपांतरण हुआ है और इसे वित्तीय प्रणाली के एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मान्यता मिली है। हाल के वैश्विक संकट ने भी गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र से संबंधित विनियामक अनिवार्यताओं और विनियामक अंतरालों से उत्पन्न जोखिमों, अधिनिर्णय और प्रणालीगत अंतर-सहबद्धता पर प्रकाश डाला है। अत: यह जरूरत महसूत की गई कि उन व्यापक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जाए जो इस क्षेत्र की आर्थिक भूमिका और विविधता तथा हाल के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को ध्यान में रखते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामक संरचना को मज़बूत बनाते हैं।

श्री संजय लाबू, निदेशक, केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री राजीव लाल, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मूलभूत सुविधा विकास वित्त निगम, श्री भरत दोशी, कार्यपालक निदेशक तथा समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी, महिंद्रा एण्ड महिंद्रा और श्री प्रतीप कार, निदेशक, ग्लोब्सीन बिज़नेस स्कूल, कोलकाता इस कार्यदल के अन्य सदस्य हैं। सुश्री उमा सुब्रमणियम, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग इसकी सदस्य सचिव होंगी।

इस क्षेत्र के विनियमन से संबंधित उभरते हुए मामलों की व्यापकता की जाँच करते समय यह कार्यदल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिभाषा और वर्गीकरण, विनियामक अंतरालों और विनियामक अधिनिर्णय का समाधान, इस क्षेत्र में अभिशासन के मानकों के रखरखाव तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर्यवेक्षण के प्रति समुचित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा। तथापि, इस जाँच की व्यापकता वर्तमान विधायी ढाँचे के अंतर्गत रहेगी।

अदावी जमाराशियाँ/निष्क्रिय खाते

बैंकों के पास अदावी जमाराशियों की प्रति वर्ष बढ़ती हुई राशि तथा ऐसी जमाराशियों से संबद्ध अंतर्निहित जोखिम के परिप्रेक्ष्य में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को जिन खाताधारकों के खाते निष्क्रिय रहे हैं, उनका पता-ठिकाना ढूँढने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। इस संबंध में अनुदेशों की समीक्षा करने के बाद रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निष्क्रिय खातों पर कार्रवाई करते समय नीचे निर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करने को कहा है:

- बैंकों को उन खातों की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए जिनमें एक वर्ष से अधिक अवधि से कोई भी परिचालन नहीं हुआ है (अर्थात् आवधिक ब्याज जमा करने अथवा सेवा प्रभार नामे डालने के अलावा कोई जमा अथवा नामे प्रविष्टि नहीं है)। ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहकों से संपर्क करें और उन्हें लिखित रूप में यह सूचित करें कि उनके खातों में कोई परिचालन नहीं किया गया है और उनसे इसका कारण पूछें। यदि ग्राहकों का उक्त इलाके से स्थानांतरण होने के कारण खाते निष्क्रिय हैं तो ग्राहकों से उनके नए बैंक खातों के ब्योरे देने के लिए कहा जाए जिनमें विद्यमान खाते की शेष राशि को अंतरित किया जा सके।
- यदि ग्राहकों के पते पर भेजे गए पत्र अवितरित वापस आते हैं तो बैंकों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों का अथवा यदि ग्राहक की मृत्यु हुई हो तो उनके कानूनी वारिसों का पता-ठिकाना ढूँढने के लिए तत्काल जाँच कार्रवाई प्रारंभ करें।

अदावी जमाराशियाँ

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर-परिचालनात्मक खातों में 31 दिसंबर 2010 तक जमा अदावी जमाराशियाँ इस प्रकार हैं:

खातों की संख्या	अदावी जमा की राशि
1,03,45,857	₹ 1,723.24 करोड़

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

- यदि ग्राहक का पता-ठिकाना नहीं मिल रहा है तो बैंक को खाता-धारक का परिचय करानेवाले व्यक्तियों से संपर्क करने पर विचार करना चाहिए। यदि ग्राहक के नियोजक/अथवा किसी अन्य व्यक्ति के ब्योरे उपलब्ध हैं तो उनसे भी संपर्क करने पर विचार किया जा सकता है। खताा-धारक का टेलीफोन नंबर/सेल नंबर यदि बैंक को दिया गया है तो बैंक उससे फोन पर भी संपर्क करने पर विचार कर सकते हैं। अनिवासी खातों के मामले में बैंक खाता-धारकों से ई-मेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और खाते के ब्योरे के संबंध में उनकी पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
- बचत तथा चालू खाता, दोनों में अगर दो वर्ष से अधिक अवधि से कोई लेनदेन नहीं हो रहा है तो उन्हें निष्क्रिय खाता माना जाए।
- यदि खाता-धारक खाते का परिचालन न करने के लिए कारण देते हुए कोई उत्तर देता है तो बैंकों को एक और वर्ष की अवधि के लिए उस खाते को सक्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखना चाहिए। इस अवधि के भीतर उस खाताधारक से खाते का परिचालन करने का अनुरोध किया जाए। तथापि, विस्तारित अवधि के दौरान भी खाता-धारक यदि खाता परिचालित नहीं करता है तो बैंकों को चाहिए कि विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद वे उसका निष्क्रिय श्रेणी में वर्गीकरण करें।
- किसी भी खाते को 'निष्क्रिय' रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए ग्राहक तथा अन्य पार्टी के अनुरोध पर किए गए दोनों प्रकार के लेनदेन, अर्थात् नामे तथा जमा लेनदेन को विचार में लेना चाहिए। तथापि बैंक द्वारा लगाए गए सेवा प्रभार तथा बैंक द्वारा जमा किए गए ब्याज को ध्यान में नहीं लिया जाए।
- ऐसे मामले हो सकते हैं जब ग्राहक ने अपने सावधि जमा खाता पर अर्जित ब्याज को अपने बचत बैंक खाते में जमा करने का अधिदेश (मैन्डेट) दिया हो और इसके अलवा उसके बचत बैंक खाते में दूसरा कोई परिचालन न होता हो। इस परिचालन को ग्राहक प्रेरित लेनदेन माना जाना चाहिए। जब तक सावधि जमा खाता पर अर्जित ब्याज को बचत बैंक खाता में जमा किया जाता है तब तक उस खाते को सक्रिय खाता माना जाना चाहिए। बचत बैंक खाता को सावधि जमा खाता पर अर्जित ब्याज को जमा करने की अंतिम प्रविष्टि की तारीख से दो वर्ष के बाद ही निष्क्रिय खाता माना जा सकता है।

अदावी जमाराशियाँ संबंधित बैंकों में रखी जाती हैं तथा बैंकों द्वारा इनका उपयोग किसी अन्य जमाराशि के समान अपने सामान्य कारोबार के लिए किया जाता है। तथापि, सरकार ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का एक संशोधन शामिल करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श से एक प्रस्ताव तैयार किया है कि वे जमा खाते जो दस वर्ष से अधिक के लिए किसी बैंक में अदावी पड़ी है, को उक्त दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के तीन माह के भीतर "जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि" नामक एक निधि में जमा किया जाएगा तथा निधि का उपयोग जमाकर्ताओं के हितों के संवर्धन और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

स्रोतः संसदीय प्रश्न

मोबाइल बैंकिंग सेवा

मोबाइल फोन को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक माध्यम के रूप में महत्त्व को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 8 अक्टूबर 2008 को मोबाइल बैंकिंग लेन-देन के लिए दिशानिर्देश जारी किए जिनकी 24 दिसंबर 2009 को समीक्षा की गयी थी तथा इसे और अधिक उदार बनाया गया। रिज़र्व बैंक ने अब तक 46 बैंकों को अपने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ देने के लिए प्राधिकृत किया है और 33 बैंकों ने मोबाइल बैंकिंग शुरू कर दी है।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2010 में बैंकों को कारोबार संवाददाता (बीसी) के रूप में कार्य करने के लिए अनुमत संस्थाओं की सूची का विस्तार किया है, जिसमें बैंकों को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों, जिसका विस्तृत खुदरा केंद्र (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़कर) हो, कारोबार संवाददाता के रूप में सेवा लेने के लिए अनुमति दी गयी है। हाल ही का यह उदारीकरण, मोबाइल परिचालकों को बैंक का बीसी बनने के लिए सक्षम बनाता है। भारतीय बैंक संघ (आइबीए) ने सूचित किया है कि भारतीय मोबाइल सेवा प्रदाता वोडाफोन एस्सार, आईसीआईसीआई बैंक लि. का कारोबार संवाददाता बनेगा, जबकि भारती एयरटेल ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मोबाइल पेमेंट सर्विस जिसका नाम "यूनियन बैंक मनी" है, शुरू करने के लिए नोकिया और ओबोपे के साथ भागीदारी की है जो पूरे भारतवर्ष के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

बैंकों द्वारा उनकी मोबाइल बैंकिंग सेवा के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव किए जा रहे हैं - (i) एलर्ट सेवाएं, (ii) सेवा अनुरोध (चेकबुक, विवरण अनुरोध), (iii) लेखा पूछताछ, (iv) आंतर-बैंक निधि अंतरण, (v) अंतर-बैंक निधि अंतरण - भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) द्वारा अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान सेवा और (vi) मूल्य वर्धित सेवा जैसे बिल भुगतान, टिकट देना इत्यादि।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों और उत्तरपूर्वी राज्यों और सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रों को सूचना देने के अधीन मोबाइल शाखाओं का परिचालन करने की अनुमति दी है। मोबाइल शाखा दिशानिर्देशों में सुसंरक्षित वैन द्वारा बैंकिंग सेवाओं का विस्तार परिकल्पित है। यह मोबाइल यूनिट विनिर्दिष्ट दिनों/समय पर इसके द्वारा सेवा के लिए प्रस्तावित केंद्रों पर जाएगी ताकि ग्राहकों द्वारा इन सेवाओं का उपयोग किया जा सके। कुछ बैंकों जैसेकि इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, कार्पोरेशन बैंक ने मोबाइल वैन बैंक सेवाएं शुरू की है।

स्रोतः संसदीय प्रश्न

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म IV

1. प्रकाशन का स्थान	:	मुंबई
2. प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3. संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम,	:	अल्पना किल्लावाला
राष्ट्रीयता और पता	:	भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400001
4. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	:	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400001

मैं, अल्पना किल्लावाला, इसके द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

ह /-
अल्पना किल्लावाला
प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक : 1 मार्च 2011

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।